न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह पुरोहित (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 223 सन 2019

अनवान :–

1. बलवन्द्र 2 मनप्रीत पुत्रान हरदेवसिह जाति जटसिख निवासी 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. नरदेवसिह पुत्र बसाखासिह उर्फ बैशाखसिह जाति जटसिख निवासी 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बसाखा सिह उर्फ बैशाखासिह पुत्र नारायणसिह जाति जटसिख निवासी 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (फोत)
2. गुरमेल कौर 3. नसीबकोर 4. मलकीत कोर पुत्रिया बसाखसिह उर्फ बैशाखासिह जाति जटसिख निवासी 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. रमणी पुत्री हरदेवसिह पुत्र बसाखासिह उर्फ बैशाखसिह जाति जटसिख निापसी 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. हरदेवसिह पुत्र बसाखसिह उर्फ बैशाखसिह जाति जटखि निवासी 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 9/9/19

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा 17 केएनएन के खाता संख्या 65/56 के कुल खसरा 9 की कुल 2.2770हैव व खाता संख्या 8/57 की कुल 46 की कुल 11.1320हैव में से 200 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 ,2 के दादा एवं वादी संख्या 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो फोत हो चुका है चक 17 केएनएन के खाता संख्या 56/61 की कुल किता 6 की 1.2650 हैव में से 1/4 हिस्सा गुरतेजसिह पुत्र बैशाखसिह के नाम दर्ज है जो लावल्द फोत हो चुका है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी 1 ,2 के दादा बैशाखसिह पुत्र नारायण सिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बैशाखसिह पुत्र नारायण सिह का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके दो पुत्रो एक पुत्री के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 बैशाखसिह पुत्र नारायणसिह के नाम से दर्ज है जिसके जायज व कानूनी वारिसान उसके पुत्र नरदेवसिह , नसीवकोर गुरमेल कोर , मलकीत कोर , हरदेव सिह व गुरतेज सिह जिसमें से गुरतेजसिह लावल्द फोत हो गया है एवं हरदेवसिह के वारिसान वादीगण संख्या 1 ,2 है इसप्रकार बैशाखसिह के जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी संख्या 1 ,2 की बहन एवं बुआ है प्रतिवादी संख्या 6 के पुत्र /पुत्रीया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की बहने /भतिजी है प्रतिवादी संख्या 1 बैशाखसिह जो फोत हो चुका है कि पुत्र/पुत्री/पुत्र हरदेवसिह के पुत्र व पुत्रिया है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने निवेदन किया की बैशाखसिह पुत्र नारायणसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जायज वारिसान है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो वादीगण संख्या 1 की भूआ एवं वादी संख्या 3 की बहन है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईया/भतिजों के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकवाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा 17 केएनएन के खाता संख्या 65/56 के कुल खसरा 9 की कुल 2.2770हैक व खाता संख्या 8/57 की कुल 46 की कुल 11.1320हैक में से 200 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 ,2 के दादा एवं वादी संख्या 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो फोत हो चुका है तथा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 56/61 की कुल किता 6 की 1.2650 हैक में से 1/4 हिस्सा गुरतेजसिह पुत्र बैशाखसिह के नाम दर्ज है जो लावल्द फोत हो चुका है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी 1 ,2 के दादा बैशाखसिह पुत्र नारायण सिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बैशाखसिह पुत्र नारायण सिह का देहान्त पर उसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 बैशाखसिह पुत्र नारायणसिह एवं बैशाखसिह के पुत्र गुरतेजसिह के नाम से दर्ज है बैशाखसिह का देहान्त हो गया है इसीप्रकार गुरतेज सिह जो बैशाखसिह का पुत्र है लावल्द फोत हो चुका है इसप्रकार बैशाखसिह एवं गुरतेतसिह के देहान्त होने पर इनके जायज व कानूनी वारिसान उसके पुत्र नरदेवसिह , नसीवकोर गुरमेल कोर , मलकीत कोर , हरदेव सिह व गुरतेज सिह जिसमें से गुरतेजसिह लावल्द फोत हो गया है एवं हरदेवसिह के वारिसान वादीगण संख्या 1 ,2 है इसप्रकार बैशाखसिहव गुरतेजसिह के जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है

प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 वादी संख्या 1 ,2 की बहन एवं बुआ /पिता है वादी संख्या 3 की बहने /भतिजी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 बैशाखसिह जो फोत हो चुका है कि पुत्री/पुत्र की पुत्रीया है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 17 केएनएन के खाता संख्या 65/56 के कुल खसरा 9 की कुल 2.2770हैक व खाता संख्या 8/57 की कुल 46 की कुल 11.1320हैक में से 200 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो वादी संख्या 1 ,2 के दादा एवं वादी संख्या 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो फोत हो चुका है तथा गुरतेजसिह पुत्र बैशाखसिह लावल्द फोत हो चुका है जो प्रस्तुत रिकार्ड एव मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है

प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि वादी संख्या 1 ,2 के दादा एवं वादी संख्या 3 के पिता बैशाखसिह पुत्र नारायणसिह के नाम से दर्ज है तथा बैशाखसिह के पुत्र गुरतेजसिह के नाम से दर्ज है जो लावल्द फोत हो चुका है तथा बैशाखसिह पुत्र नारायणसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारिसान उसके पुत्र नरदेवसिह , नसीवकोर गुरमेल कोर , मलकीत कोर , हरदेव सिह गुरतेजसिह है जिसमें से गुरतेजसिह लावल्द फोत हो गया है एवं हरदेवसिह के वारिसान वादीगण संख्या 1 ,2 5 है इसप्रकार बैशाखसिह पुत्र. नारायणसिह एवं गुरतेजसिह पुत्र बैशाखसिह के जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र से साबित है।

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 जो वादी संख्या 1 ,2 की बहन एवं बुआ/पिता है एवं वादी संख्या 3 की बहन /भतीजी है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण अपने भाईयो/पुत्रों के पक्ष में त्याग किया हुआ है प्रतिवादी संख्या 6 ने निवेदन किया की उन्होने वाद भूमि में अपने हकों का त्याग कर दिया है खाता संख्या 8/57 मे भूमि अपने नाम से रख ली है इसलिये वाद भूमि वादीगण 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया है।

इसप्रकार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 17 केएनएन के खाता संख्या 65/56 के कुल खसरा 9 की कुल 2.2770हैक व खाता संख्या 8/57 की कुल 46 की कुल 11.1320हैक में से 200 हिस्सा भूमि मृतक बैशाखसिह पुत्र नारायणसिह के नाम से दर्ज है में वादीगण संख्या 1 ,2 का 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है मृतक बैशाखसिह एवं गुरतेजसिह का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 9/9/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. बलवन्द्र 2 मनप्रीत पुत्रान हरदेवसिह जाति जटसिख निवासी 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. नरदेवसिह पुत्र बसाखासिह उर्फ बैशाखसिह जाति जटसिख निवासी 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बसाखा सिह उर्फ बैशाखासिह पुत्र नारायणसिह जाति जटसिख निवासी 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (फोत)
2 गुरमेल कौर 3. नसीबकोर 4. मलकीत कोर पुत्रिया बसाखसिह उर्फ बैशाखासिह जाति जटसिख निवासी 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. रमणी पुत्री हरदेवसिह पुत्र बसाखासिह उर्फ बैशाखसिह जाति जटसिख निापसी 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. हरदेवसिह पुत्र बसाखसिह उर्फ बैशाखसिह जाति जटखि निवासी 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 223 सन 2019 निर्णय दिनांक–09/09/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 17 केएनएन के खाता संख्या 65/56 के कुल खसरा 9 की कुल 2.2770हैक व खाता संख्या 8/57 की कुल 46 की कुल 11.1320हैक में से 200 हिस्सा भूमि एंव खाता संख्या 56/61 के कुल किता 6 की 1.2650हैक भूमि में से 1/4 हिस्सा में मृतक बैशाखसिह पुत्र नारायणसिह , गुरतेजसिह के नाम से दर्ज है में वादीगण संख्या 1 ,2 का 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है मृतक बैशाखसिह एवं गुरतेजसिह का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकगीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 9/9/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner